N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0003 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/01/2025 18:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:50 बजे **Time To (समय तक):** 14:39 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/01/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/01/2025 18:19:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PURNI TAHASIL KOTKHAWDA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PURANMAL MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMSAHAY MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM SANTOSHPURA, CHAKSU, CHAKSU, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM SANTOSHPURA, CHAKSU, CHAKSU, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KULDEEP SINGH		पिता:RANDHEER SINGH	1. 103/52,KUMBHA MARG,PRATAPNAGAR,SECTOR NO-10,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	RAMSWAROOP SHARMA		पिता:PRBHATI LAL SHARMA	1. ACHALPURA,POST ACHALPURA,KOTKHAWAD,CHAKSU,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 02.01.2025 को परिवादी श्री पूरणमल मीना दतक पुत्र स्व. श्री रामसहाय मीना, उम्र 37 वर्ष नि0 ग्राम संतोषपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर होना बताया व उसके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामें, श्रीमान् पुलिस निरीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर (राज.)। विषय-रिश्वत लेते हुए पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम पूरण मल मीणा दतक पुत्र स्व. श्री रामसहाय मीना उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम संतोषपुरा, तहसील चाकसू, जिला जपुर (राज) का निवासी हूं। मेरे छोटे दादाजी स्व. श्री रामसहाय मीना के मै गोद गया हुआ हूं जिसका गोदनामा हो रखा है। मेरे छोटे दादाजी की जमीन उनके देहान्त के बाद मेरी दादीजी मंगली देवी के नाम करवा दी थी। मेरी दादी का 13 जून 2024 को स्वर्गवास हो जाने के बाद उनका दतक पुत्र होने के कारण मैने ग्राम नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा की जमीन का नामान्तकरण मेरे नाम से खुलवाने हेतु पटवारी श्री कुलदीप से मिला तो उसने मुझसे कहा कि नामान्तकरण खुलवाने हेतु आपके 8-10 हजार रू खर्च हो जायें। आप मुझे खर्चा पानी दे देना अपने हिसाब से आपका वसियत का नामान्तकरण खोल दूंगा। जब मैने पूछा कि आठ-दस हजार किस काम मे खर्च हो जायेंगे तो उसने मुझे बताया कि मै इसको जांच में डाल दूंगा तो आपको तहसीलो के चक्कर लगाने पड़ेगे। दिनांक6-12-2024 को पटवारी श्री कुलदप मेरे से बाड़ा पदमपुरा मे मिला और मुझसे कहा कि आपके वसीयत के नामान्तकरण को खोलने हेतु ग्राम पंचायत सरपंच पति श्री रामस्वरूप जी को भी खर्चा पानी देना पड़ेगा तब ही सरपंच पति रामस्वरूप जी आपका नामान्तकरण स्वीकृत करेगें, अगर उनको खर्चा (पैसे) नही दिये तो वह आपका नामान्तकरण खारिज भी कर सकता है। मै उक्त पटवारी श्री कुलदीप व सरपंच पति श्री रामस्वरूप जी को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूं एवं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उक्त दोनो से कोई आपसी रंजिश व पूर्व का लेन देन नही है। अतः मेरी विनती है कि मेरे प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी/-पूरणमल मीणा दतक पुत्र स्व. श्री रामसहाय मीना, उम्र 37 वर्ष नि. ग्राम संतोषपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर (राज.) मो0नं0 [redacted]" जिस पर दिनाक 2-1-2025 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो पटवारी श्री कुलदीप सिंह व सरपंच पति श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा 5000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। दिनांक 03-1-2025 समय 12.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल कुमार शर्मा एवं श्री विनित कोटिया की उपस्थिति में परिवादी श्री पूरणमल मीना दतक पुत्र स्व. श्री रामसहाय मीना, उम्र 37 वर्ष नि0 ग्राम संतोषपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपीगण हेतु दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री पूरणमल मीना ने अपने पास से दो-दो सौ रूपये के 25 नोट कुल 5000/-रूपये प्रस्तुत किए। जिनके नम्बरों को कम्पयूटर से टाईप करवाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को सुपुर्द किये जाने है। उपरोक्त नोटो पर भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम से तलब शुदा श्री आशिश कुमार कानि0 नं0 208 से कार्यालय की आलमारी से फिनोलफ्रथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी के बदन पर पहने हुए जेकेट के सामने की दाहिनी जेब में रखवाए गए। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय माईक्रो एसडी कार्ड बसिलसिले ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री कुलदीप पटवारी पटवार हल्का नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा व सरपंच पति श्री रामस्वरूप तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 03-1-2025 को समय 1.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक राजकुमार शर्मा, मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री चांदमल सहायक उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश हैड कानि0, श्री रिजवान अहमद हैड कानि0, श्री रणजीत सिंह कानि0,

श्रीमती रजनी महिला कानि0 मय स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल कुमार शर्मा एवं श्री विनित कसोटिया मय ट्रेप बॉक्स, लेपटाप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये दो सरकारी वाहन मय चालक के गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुआ तथा परिवादी श्री पूरणमल मीणा को उसकी मोटर साईकिल से श्री बन्नाराम कानि0 के साथ रवाना होकर तहसील कोटखावदा के पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया। समय करीब 2.39 पीएम पर परिवादी श्री पूरणमल मीणा ने अपनी आंखो से चश्मा हटा कर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक ने ब्यूरो स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान को ईशारा कर साथ लेते हुए एक मकान के पास जहां पर परिवादी श्री पूरणमल मीणा खड़ा हुआ दिखाई दिया उसके पास पहुंचकर परिवादी से पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही पटवारी श्री कुलदीप जी है जिसने मेरे विरासत के नामान्तकरण खोलने हेतु 5000/- रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपनी जिन्स पेंट के सामने की बांयी जेब मे रख लिए है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के पास खड़े व्यक्ति को अपना एवं हमारीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, जाति जाट, उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम लुलहारा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर हाल पटवारी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा होना बताया। परिवादी श्री पूरणमल मीणा ने बताया कि मै आपके द्वारा सुपुर्द किये गये विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके पटवारी श्री कुलदीप के द्वारा बुलाये गये स्थल तहसील कार्यालय कोटखावदा पहूंचा जहां पर मैने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] द्वारा पटवारी कुलदीप के मोबाईल नं0 [redacted] पर वापस काल किया तो पटवारी द्वारा मेरा काल काट दिया तथा समय 2.17 पीएम पर अपने वाट्सअप नम्बर [redacted] से मेरे फोन पर वाट्सअप काल किया जिसको मैने मेरे मोबाईल का स्पीकर खोलकर वार्ता की तो पटवारी श्री कुलदीप ने मुझे पुरानी तहसील कार्यालय कोटखावदा बुलाया जिस पर मै मोटरसाईकिल से पुरानी तहसील कार्यालय की ओर रवाना हुआ। पुरानी तहसील के पास पहुंचने के बाद मैने समय 2.30 पीएम पर पटवारी श्री कुलदीप को वाट्सअप काल किया तो पटवारी पुरानी तहसील कार्यालय से आगे एक व्यक्ति के पास खड़ा हुआ दिख गया। जिसने मुझे अपने पास बुला लिया। जब मैं पटवारी श्री कुलदीप के पास पहुंचा तो उसके पास एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा था और पटवारी उससे बात कर रहा था तो कुछ देर तक पटवारी उस व्यक्ति से बात करता रहा। पटवारी केपास खड़े अन्य व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि कहां के रहने वाले हो। उस व्यक्ति के जाने के बाद पटवारी जी ने मुझसे कहा कि सरपंच जी को फोन कर देता हूं आप उन्हीं को दे देना। तब मैने पटवारी को कहा कि मुझे वापस नंदलालपुरा जाना है मेरी सिस्टर के और मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ है फिर पटवारी जी ने मेरे से पूछा कि कितने लाये हो तो मैने कहा कि पूरे 5000/- रूपये लाया हूं आप सरपंच को कितना भी दो लेकिन मेरा काम आज करवा दो तो पटवारी ने कहा कि आपका आधा घंटे मे काम हो जायेगा मै सरपंच को काल करके बोल देता हूं तत्पश्चात् मैने मेरे पास रखी हुई रिश्वती राशि को पटवारी को दे दिया और कहा कि गिन लो 5000/- है 25 नोट तो पटवारी ने कहा कि विश्वास है और अपने बांय हाथ मे लेकर अपनी पेंट की बांयी जेब में रख लिया। तत्पश्चात् मैने आपको मेरा चश्मा उतार कर निर्धारित ईशारा कर दिया और आपकी टीम को आता देख पटवारी जी ने रिश्वती राशि जमीन पर गिरा दी और इतने में आप और आपकी टीम आ गयी। इस पर पास मे खडे श्री कुलदीप सिंह पटवारी से परिवादी से अभी-अभी रिश्वत के 5000/- रूपये प्राप्त करने के संबंध में पूछा गया तो श्री कुलदीप सिंह पटवारी ने बताया कि श्री पूरण मीना का नामान्तकरण का काम था जो मैने पहले ही दस बारह दिन पहले कर दिया था और श्री पूरणमल का काम ग्राम पंचायत सरपंच के पास कार्य पैण्डिग था। परिवादी श्री पूरणमल को लग रहा था कि उसका नामान्तकरण का कार्य मेरे पास पैण्डिग है इस कारण वह बार-बार मेरे से निवेदन कर रहा था और कह रहा था कि मेरी सरपंच से व्यक्तिगत जानकारी नही है क्योकि परिवादी दुसरी ग्राम पंचायत मे रहता है और गोद आया हुआ है इस कारण यदि आपकी जानकारी हो तो आप ही करवा दो और मैं बच्चों की पढाई के चक्कर में सीकर रहता हूं इस पर मैने मानवीय पहलु को ध्यान रखते हुए श्री पूरणमल को कहा कि आप मेरे पास आ जाना और मै आपको सरपंच से मिलवा दूंगा इस कारण श्री पूरणमल मेरे पास दिनांक 2-1-2025 को आया था तब इसने काल किया था तब मेने पूरण मल को कह दिया था कि मै काम मे व्यस्त हुं आप खुद ही सरपंच से मिल लो तो इसने कहा कि आप ही आ जाओ जबकि मै राजकार्य मे व्यस्त था लेकिन पूरणमल ने मुझे बार-बार कॉल कर रहा था इस कारण मै इसके पास आया था और मै इसको सरपंच के पास ले गया था तो सरपंच को पूरणमल कह रहा था कि मेरा काम कर दो। इस पर सरपंच ने इसको कह दिया कि ग्यारह इक्कीस दे जाओ आप तो दूसरी पंचायत से आकर मालिक बन रहे हो और सरपंच को 5000/- रूपये हां भर दी और सरपंच के पास से आने के बाद परिवादी ने स्वयं की इच्छा से ही कह दिया कि मै आपको 5000/- रूपये दे दूंगा और 1000 रूपये आप रख लेना इससे आपको भी बूरा नही लगेगा तो मैने इनको कहा था कि आप जाना और सरपंच जाने आज इसने जबरदस्ती 5000/- रूपये मेरे पास आकर दे दिए जकि मैने स्पष्ट कह रहा था कि आप सरपंच के पास जाओ और उसको ही दे दो और मै इनको पैसे वापस दे रहा था तो इसने नही लिए तो मैने पूरणमल द्वारा दिए गए रूपये जमीन पर डाल दिये इतने मे आपकी टीम ने आकर मुझे पकड़ लिया मैने पूरणमल से कोई रूपये नही मांगे। शायद सरपंच से बदनियति के कारण पूरणमल ने मुझे षड़यंत्रपूर्वक फंसाया है। इस पास में खड़े परिवादी श्री पूरणमल मीणा ने पटवारी श्री कुलदीप सिंह के बात का खण्डन करते हुए बताया कि पटवारी जी झूठ बोल रहे हैं मैं कल दिनांक 2-1-2025 को जब इनसे

एवं सरपंच पति से मिलने गया था तब इन्होने मुझसे 5000/- रूपये की मांग करी थी जिसमें 4000/- रूपये सरपंच साहब के एवं 1000/- रूपये पटवारी जी के थे। इनकी मांग के अनुसरण में ही आज मैने इनको 5000/- रूपये रिश्वत के दिए थे जो इन्होने अपनी जिन्स पेंट की बांयी जेब में रख लिए थे तथा आपको और आपकी टीम को आता देखकर पेंट से रूपये निकाल कर बाहर फेंक दिए थे। इस पर मिट्टी पर पड़े हुए नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री राहुल से उठवाकर कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो दो-दो सौ रूपये के 25 नोट कुल 5000/- रूपये फर्द पेशकशी के अनुसार हूबहू पाए गये । जिनको स्वतंत्र गवाह श्री राहुल कुमार के पास सुरक्षित रखवाए गए। जिसकी नियमानुसार वीडियोग्राफी करवाई गई। तत्पश्चात् पटवारी द्वारा पुरानी तहसील के पास बने कमरे को कार्यालय के रूप में काम लिया जा रहा था जिसमें पटवारी को साथ लेकर धोवन की कार्यवाही आरंभ की गई। तत्पश्चात् ट्रेप बाक्स से एक नया प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उसमें प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में श्री कुलदीप सिंह पटवारी के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के गिलास को कैंची से काटकर बाहर फिकवाया गया। उक्त धोवन संबंधी कार्यवाही की नियमानुसार वीडियोग्राफी करवाई गई। तत्पश्चात् ट्रेप बाक्स से दुसरा प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उसमे पटवारी द्वारा कार्यालय के रूप में काम लिए जा रहे कक्ष में रखा पानी के केम्पर से प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी लेकर प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में श्री कुलदीप सिंह पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के गिलास को कैंची से काटकर बाहर फिकवाया गया। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री राहुल कुमार के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि को प्राप्त कर पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो दो-दो सौ रूपये के 25 नोट कुल 5000/- रूपये हूबहू वही नम्बरी होना पाए गए। उक्त 5,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। जिसकी भी नियमानुसार वीडियोग्राफी करवाई गई। दर्ज रहे कि इस समय मौके पर लिखापढ़ी का पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण व आस पास काफी व्यक्ति के इक्कठा हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोटखावदा में जाकर लिखापढ़ी करने का निर्णय लिया जाकर मौके का नक्शा मौका तैयार करते हुए श्री कुलदीप सिंह पटवारी को हमराह लेते हुए मौके से समय 3.25 पीएम पर रवाना होकर 3.35 पीएम पर पुलिस थाना कोटखावदा पहूंचकर थाना परिसर में एक कमरा खुलवाकर लिखापढ़ी आरंभ की गई। दर्ज रहे कि पटवारी श्री कुलदीप सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत के 5000/- रूपये अपने बांये हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई जिन्स पेंट की सामने की बांयी जेब मे रखे थे। जिससे जिन्स पेंट की बांयी जेब का नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक है ऐसी सूरत में कोटखावदा शहर से एक लोवर मंगवाया जाकर श्री कुलदीप के बदन पर पहनी हुई जिन्स पेंट को उतरवाकर लोवर पहनने को दिया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बाक्स से एक साफ प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उसमे थाना परिसर से प्लास्टिक बोतल मे साफ पानी मंगवाया जाकर प्लास्टिक के गिलास में साफी पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में श्री कुलदीप सिंह पटवारी के बदन से उतरवाई गई जिन्स पेंट के सामने की बांयी जेब को उलटवाकर कर तैयार शुदा घोल में बारी-बारी डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसके समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सिल चिट मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के गिलास को कैंची से काटकर बाहर फिकवाया गया तथा जिन्स पेंट बरंग नीला की जेब को सुखवाकर उसको एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट मोहर कर मार्क-पी अंकित कर संबंधित हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त धोवन संबंधी कार्यवाही की नियमानुसार वीडियोग्राफी करवाई गई। समय करीब 3.50 पीएम पर पूर्व से ग्राम पंचायत नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा के सरपंच पति श्री रामस्वरूप से दस्तयाब कर लाने हेतु श्रीमती अर्चना पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-1 एवं उनकी टीम को पाबन्द किया गया था जो इस थाना हाजा पर उपस्थित आकर एक व्यक्ति को लाकर पेश किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 70 साल निवासी अचलपुरा, पोस्ट अचलपुरा तहसील कोटखावदा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर होना बताया। जिस पर श्री रामस्वरूप शर्मा सरपंच पति से दिनांक 2-1-2025 को परिवादी से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में पूछताछ की गई तो श्री रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि मै पूरणमल को नही जानता हूं क्योंकि वह दुसरी पंचायत का रहने वाला है और तहसील भी बस्सी है मेरी पत्नि मूली देवी ग्राम पंचायत हरिपुरा की सरपंच है हमारी ग्राम पंचायत के

अन्दर कोई भी नामान्तकरण अथवा रजिस्ट्री होती है तो ग्राम पंचायत की निजी आय को बढाने के उद्देश्य से नामान्तकरण खुलवाने वाले अथवा रजिस्ट्री करवाने वाले व्यक्ति की इच्छानुसार ग्राम पंचायत की रसीद बुक में इन्द्राज करके व्यक्ति द्वारा दी गई सहयोग राशि की रसीट काट दी जाती है जिसका रिकार्ड रखा जाता है कल दिनांक 2-1-2025 को पूरणमल हमारी ग्राम पंचायत के पटवारी श्री कुलदीप के साथ आया था और मेरे से कह रहा था कि मेरा काम कर दो और जो लेेना हो वो ले लेना इस कारण मैने ग्राम पंचायत द्वारा काटी जाने वाली रसीद के अनुसार यही कहा था कि तेरी इच्छानुसार ग्यारह इक्कीस दे देना जबकि मेरा रिश्वत लेने संबंधित कोई उद्देश्य नही था क्योंकि आज तक मेरे खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने शिकयत नही की यदि उक्त पूरणमल 5000/- रूपये की राशि मुझे व्यक्तिगत रूप से देता तो मैं ग्राम पंचायत की रसीद काट पूरणमल को अवश्य देता परन्तु पूरणमल ने शायद किसी व्यक्ति के कहे में आकर राजनैतिक द्वेषता के कारण षड़यंत्रपूर्वक मुझे फंसाया है मै दो बार सरपंच रह गया और अबकी बार मेरी पत्नि सरपंच है इस अवधि मे मेरी बेदाग छवि रही है। पूरणमल ने किसी व्यक्ति के कहेनुसार राजनैतिक द्वेषता से मेरी छवि को घूमिल करने के उद्देश्य से मुझे फंसाया गया है। इस पर पास में खड़े परिवादी श्री पूरणमल मीना ने सरपंच की बात का खण्डन करते हुए कहा कि सरपंच पति श्री रामस्वरूप शर्मा झूंठ बोल रहे है जब मै कल दिनांक 2-1-2025 को पटवारी श्री कुलदीप के साथ इनसे मिलने गया तब इन्होने मुझे कहा था कि ग्यारह इक्कीस तब मैने कम करने की बात कही थी कही भी रसीद काटने बात नही की थी। तब श्री रामस्वरूप शर्मा सरपंच पति ने कहा था की पटवारी जी को दे देना मुझे बता देना मै काम कर दूंगा। इनसे व पटवारी श्री कुलदीप सिंह से हुई वार्तानुसार आज मैने पटवारी को रिश्वत के 5000/- रूपये दिए थे जिसमे से 4000/- रूपये सरपंच पति श्री रामस्वरूप शर्मा को देने व 1000/- रूपये पटवारी जी के लिए दिए थे जो पटवारी श्री कुलदीप सिंह ने अपने बांये हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई जिन्स पेंट की बांयी जेब मे रख लिए थे। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है। जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, जाति जाट, उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम लुलहारा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर हाल किरायेदार मकान नं0 103/52, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, सेक्टर नं0 10 जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर एवं श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 68 साल निवासी अचलपुरा, पोस्ट अचलपुरा तहसील कोटखावदा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ने आपसी मिली भगत करके परिवादी श्री पूरणमल मीना दतक पुत्र स्व. श्री रामसहाय मीना, उम्र 37 वर्ष नि0 ग्राम संतोषपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के वारिसान का नामान्तकरण खोलने की ऐवज में रिश्वत की मांग करना एवं दिनांक 02-01-2025 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो 5000/- रूपये की मांग कर 4000/- रूपये सरपंच पति के लिए एवं 1000/- रूपये पटवारी ने अपने स्वयं के लिए मांग करने पर आज दिनांक 03-1-2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री पूरणमल मीणा को पटवारी श्री कुलदीप सिंह द्वारा कोटखावदा की पुरानी तहसील के पास कार्यालय के रूप में काम लिए जा रहे मकान पर बुलाकर परिवादी से 5000/- रूपये रिश्वत के अपने बांये हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई जिन्स पेंट के सामने की बांयी जेब में रखना एवं ब्यूरो की टीम को आता देख रिश्वती राशि 5000/- रूपये को नीचे मिट्टी मे डाल देना एवं रिश्वती राशि मौके से बरामद बरामद होने पर श्री कुलदीप सिंह पटवारी हल्का हरिनारायणपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर एवं श्री रामस्वरूप शर्मा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का पाया जाने पर आरोपीगण श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, जाति जाट, उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम लुलहारा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर हाल किरायेदार मकान नं0 103/52, कुम्भा मांग, प्रतापनगर, सेक्टर नं0 10 जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर एवं श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 68 साल निवासी अचलपुरा, पोस्ट अचलपुरा तहसील कोटखावदा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर को नियमानुसार पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफतारी गिरफ्तार किया गया। बरामदगी स्थग तथा आरोपी के दोनो हाथो व पेंट की जेब के धोवन लेने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी से संबंधित मेमोरी कार्ड की पृथक से डीवीडी तैयार कर मेमोरी कार्ड को पृथक से जप्त किया गया। अतः आरोपीगण (1) श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, जाति जाट, उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम लुलहारा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर हाल किरायेदार मकान नं0 103/52, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, सेक्टर नं0 10 जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर एवं (2) श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 68 साल निवासी अचलपुरा, पोस्ट अचलपुरा तहसील कोटखावदा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।
(राजकुमार शर्मा) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजकुमार शर्मा,पुलिस निरीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में आरोपीगण (1) श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह, जाति जाट, उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम लुलहारा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर हाल किरायेदार मकान नं0 103/52, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, सेक्टर नं0 10 जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का नरपतपुरा उर्फ हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर एवं (2) श्री रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री प्रभाती लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 68 साल निवासी अचलपुरा, पोस्ट अचलपुरा तहसील कोटखावदा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत हरिपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशाेर मीना, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,दौसा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 69 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 11-14 दिनांक 04-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2- जिला कलक्टर, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NAVAL KISHORE MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan.I
Date: 0 /2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/07/1991				
2	Male	1957				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)